

## नागरिक शिकायत सूचना पत्र

(Sea Girt Police Department) के सदस्य न्यायोचति, प्रभावी और नष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपी सेवा देने के लिये प्रतबिद्ध है। यह सभी के सर्वोत्तम हति में है कि किसी वशिष अधिकारी के प्रदर्शन के बारे में आपकी शिकायत को न्यायोचति ढंग से और शीघ्रता से हल कया जाए। आपकी शिकायत की जाँच के लिये पुलसि वभिग के पास औपचारिक प्रक्रियाएँ हैं। इन प्रक्रियाओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों के अधिकारों की रक्षा करने और नष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये कया गया है:

1. गुमनाम स्रोतों सहित किसी भी व्यक्ती से अधिकारी / कर्मचारी के बारे में कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।
2. शिकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, वकिलांगता या आव्रजन स्थिति की परवाह किये बिना शिकायत स्वीकार कया जाएगा।
3. आपकी शिकायत को किसी उच्चाधिकारी या आंतरिक मामलों के लिये वशिष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी के पास भेजा जाएगा जो मामले की वसित और उद्देश्यपूर्ण जाँच करेगा।
4. आपको घटना के बारे में वसित वविरण दे कर जाँच में मदद करने के लिये कहा जा सकता है कि कया हुआ था या / और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिये कहा जा सकता है।
5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों के वरिद्ध सभी शिकायतों की वसित जाँच की जाती है। यदि अनुरोध कया जाता है, तो आपको जाँच की स्थिति और उसके अंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी प्रदान करते हैं। अधिपति सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच के अंतिम परिणाम के बारे में आपको सूचित कया जाएगा, अर्थात्:
  - a. शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; वनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किये गए आदेश, दशानरिदेश, नीतिया प्रक्रिया; एजेसी प्रोटोकॉल; परिचालन प्रक्रिया; सिद्धांत; या प्रशिक्षण का उल्लंघन कया है।
  - b. शिकायत नरिधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं हुआ था।
  - c. दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित आचरण हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; वनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किये गए आदेश, दशानरिदेश, नीतिया प्रक्रिया; एजेसी प्रोटोकॉल; परिचालन प्रक्रिया; सिद्धांत; या प्रशिक्षण का उल्लंघन नहीं कया गया था।
  - d. शिकायत अवैध है: आरोप को स्पष्ट रूप से साबित करने या खारजि करने में जाँच पर्याप्त सबूतों का खुलासा करने में वफिल रहा।
6. यदि हमारी जाँच यह दर्शाती है कि अपराध कया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित कया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने के लिये कहा जा सकता है।
7. यदि हमारी जाँच के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी पर वभिग के नयिमों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो वभिगीय सुनवाई में आपको गवाही देने के लिये कहा जा सकता है।
8. यदि हमारी जाँच दर्शाती है कि शिकायत नरिधार है या अधिकारी ने ठीक से काम कया है तो मामला बंद कर दिया जाएगा।
9. आंतरिक मामलों की जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनता के लिये बंद रहेगी, जब तक कि प्रतवादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।
10. आप मामले के बारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या किसी भी प्रश्न के साथ Lieutenant Matthew Mason को 7300-449-732 x440 पर कॉल कर सकते हैं।

**आंतरिक मामलों को रिपोर्ट करने के लिए फार्म****रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति (वैकल्पिक, लेकिन सहायक)**

पूरा नाम \_\_\_\_\_

फोन \_\_\_\_\_  पसंदीदा?

पता (अपार्टमेंट #) \_\_\_\_\_

ई-मेल \_\_\_\_\_ 

शहर, राज्य, जिप \_\_\_\_\_

जन्म की तारीख \_\_\_\_\_

**आरोप के अधीन अधिकारी (जो भी जानकारी है, उसे दें)**

अधिकारी(ओं) का नाम \_\_\_\_\_

बैज नंबर \_\_\_\_\_

घटना स्थल \_\_\_\_\_

तारीख / समय \_\_\_\_\_

नीचे दिए गए स्थान में घटना का प्रकार (यातायात रोकना, सड़क मुठभेड़) और कथित आचरण के बारे में किसी भी जानकारी का वर्णन करें। आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग कर सकते हैं, और उसे इस दस्तावेज में संलग्न करें। यदि आप अधिकारी का नाम या बैज नंबर नहीं जानते हैं, तो पहचान करने के लिए कोई अन्य जानकारी प्रदान करें।

**अन्य जानकारी**

इसकी रपट कैसे की गई थी?

 व्यक्तिगत रूप से  फोन के माध्यम से  पत्र के द्वारा  ई-मेल से  अन्य \_\_\_\_\_

 कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किया?  हाँ  नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें: \_\_\_\_\_

 क्या घटना की रपट पहले की गई थी?  हाँ  नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें: \_\_\_\_\_
**रपट प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा**
 \_\_\_\_\_  
 शिकायत प्राप्त करने वाला अधिकारी

 \_\_\_\_\_  
 बैज नंबर

 \_\_\_\_\_  
 तारीख / समय

 \_\_\_\_\_  
 शिकायत की समीक्षा करने वाले पर्यवेक्षक

 \_\_\_\_\_  
 बैज नंबर

 \_\_\_\_\_  
 तारीख / समय